

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/126/जी.ए. /उप.न./स्कूल शिक्षा/2026

भोपाल, दिनांक 14-10-2026

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म०प्र०शासन,
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित नियम 2020, 2021) तथा संशोधित नियम 2026 के नियम 5 उप नियम (6) के संबंध में कार्यवाही बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला) मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित नियम 2020, 2021) तथा संशोधित नियम 2026 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 31 जुलाई 2026 को किया गया है, यह नियम मान्यता पोर्टल <https://manyta.dpimp.in/SSOindex.aspx#SchoolNOC> पर भी उपलब्ध है। संशोधित नियम 2026 के नियम 5 उप नियम (6) के अनुसार विद्यालय द्वारा छात्र संख्या के अनुपात में स्वयं अथवा किसी अन्य निकाय, अभिकरण या लोक अघोसंरचना के माध्यम से विहीत मापदण्ड अनुसार खेल मैदान तथा सुविधाएं का प्रावधान है।

2/अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुक्रम में प्रदेश में संचालित एवं नवीन संचालित होने वाली अशासकीय विद्यालयों के मान्यता प्रकरणों में नियमानुसार समुचित कार्यवाही किए जाने हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किए जाने का अनुरोध है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(डॉ० संजय गोयल)

सचिव

म०प्र०शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रं./ 129/वीए. /उप. स. /स्कूल शिक्षा /2026

भोपाल, दिनांक 14-10-2026

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन।
 2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र०, भोपाल।
 3. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०
 4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र०।
 5. समस्त प्राचार्य/संचालक अशासकीय विद्यालय, म०प्र०।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



सचिव

म०प्र०शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग